

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 47*
06 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए
अमृत 2.0

*47. श्री मितेश पटेल (बकाभाई):
श्री हंसमुखभाई सोमाभाई पटेल:

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) का ब्यौरा और उद्देश्य क्या है; और

(ख) इस मिशन के तहत परियोजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है तथा कितनी परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी है, कितनी परियोजनाएं चल रही हैं और कितनी परियोजनाओं के संबंध में निविदा जारी की जा चुकी है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य मंत्री
(श्री मनोहर लाल)

(क) और (ख): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

‘अमृत 2.0’ विषय पर दिनांक 06 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *47 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 योजना को दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 को सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरों में शुरू किया गया है, जिससे शहर 'आत्म-निर्भर' और 'जल सुरक्षित' बन पाएं। इस मिशन का उद्देश्य सभी सांविधिक कस्बों में परिवारों को जल नल कनेक्शन उपलब्ध कराना है। 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन की सर्वव्यापी कवरेज उपलब्ध कराना अमृत 2.0 के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक है। जल निकायों का नवीकरण, हरित स्थानों एवं पार्कों का विकास इत्यादि इस मिशन के अन्य घटक हैं। इस मिशन में सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी), स्टार्ट-अप के माध्यम से अद्यतन प्रौद्योगिकियों को अपनाने और शहरों के लिए भूजल जल-स्तर प्रबंधन योजनाएं तैयार करने पर जोर दिया गया है। इस मिशन के सुधार एजेंडा में शहर की कुल जल मांग के कम से कम 20 प्रतिशत की पूर्ति रीसाइकल किए गए शोधित प्रयुक्त जल से करने; 'नल से जल' (डीएफटी) सुविधा से चौबीसों घंटे और सातों दिन जलापूर्ति सुविधा; शहरों की भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित योजनाएं तैयार करने और नगरपालिका बांड जारी करके निधियों जुटाने के प्रावधान शामिल हैं।

अमृत 2.0 के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने जल गुणवत्ता निगरानी में नागरिकों को शामिल किया है, जल क्षेत्र में महिला एसएचजी समूहों को सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए अमृत मित्र पहल शुरू की गई है। "जल ही अमृत" अमृत 2.0 सुधारों के तहत एक उप-योजना है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण मानकों को पूरा करने वाले रीसाइकल किए जाने योग्य शोधित जल के लिए सीवेज शोधन संयंत्रों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना है। अमृत 2.0 के लिए कुल सांकेतिक परिव्यय 2,77,000 करोड़ रुपए है, जिसमें पांच वर्षों के लिए 76,760 करोड़ रुपए की कुल केंद्रीय सहायता शामिल है।

अमृत 2.0 के अंतर्गत, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को मिशन दिशा-निर्देशों के व्यापक फ्रेमवर्क के अनुरूप परियोजनाओं का चयन, डिजाइन, अनुमोदन, प्राथमिकता, कार्यान्वयन और निगरानी करने का अधिकार दिया गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य उच्चाधिकार-प्राप्त संचालन समिति (एसएचपीएससी) की सिफारिश के अनुसार अमृत 2.0 के तहत राज्य जल कार्य योजनाओं (एसडब्ल्यूएपी) को अनुमोदित करता है। परियोजना कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। अमृत 2.0 के तहत शुरू की गई प्रमुख परियोजनाएँ जल और सीवरेज क्षेत्र में लंबी अवधि की बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाएँ हैं।

अमृत 2.0 के तहत परियोजनाओं के लिए 66,750 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता आवंटित की गई है, जिसमें से 64,071.09 करोड़ रुपये पहले ही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुमोदित किए जा चुके हैं। अमृत 2.0 के तहत, 1,89,188 करोड़ रुपये (संचालन और रखरखाव लागत सहित) की कुल 8,887 परियोजनाओं को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है। अमृत 2.0 पोर्टल पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार (27.01.2025 तक), 5,383 परियोजनाओं के लिए 92,284.01 के मूल्य के ठेके दिए गए हैं। जमीनी स्तर पर कुल 27,183.78 करोड़ रुपये के कार्य पूरे हो चुके हैं और 20,834.92 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

अमृत 2.0 के तहत अनुमोदित परियोजनाओं में 408 लाख नए/सर्विस किए गए नल कनेक्शन और 154 लाख नए/सर्विस किए गए सीवर कनेक्शन शामिल हैं तथा इसमें संवर्धन और निर्माण के माध्यम से 10,647 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) क्षमता का जल शोधन संयंत्र और 6,739 एमएलडी क्षमता का सीवेज शोधन संयंत्र शामिल है। इन अनुमोदित परियोजनाओं के परिणामों में 1.24 लाख किलोमीटर (केएम) जल नेटवर्क और 35,332 किलोमीटर सीवर नेटवर्क का निर्माण भी शामिल है।
